1

कार्यालय निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

संख्या : 1765/स्था01/36ए(1)/प्रवि0/2019-2020, दिनांक : 03.6.20

शासनादेश संख्या-2/2020/36/1/1976/कार्मिक-2/2020, दिनांक 21 मई 2020 की पृष्ठांकन प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं तत्काल आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- निदेशक (रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
2- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- समस्त अपर निदेशक (ग्रेड-1), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
4- समस्त अपर निदेशक (ग्रेड-2), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
5- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 पशुधन विकास परिषद, लखनऊ।
6- अध्यक्ष/रजिस्ट्रार/संयुक्त निदेशक, उ0प्र0पशु चिकित्सा परिषद, लखनऊ।
7- समस्त संयुक्त निदेशक (गायना0/पैथा0), पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
8- संयुक्त निदेशक, डी0एफ0एस0, खीरी/बाबूगढ़ (हापुड़)/रहमानखेड़ा, लखनऊ।
9- संयुक्त निदेशक, निबलेट, बाराबंकी।
10- संयुक्त निदेशक, तरल नत्रजन, बदायूँ/पीलीभीत/बरेली/रायबरेली।
11- समस्त संयुक्त निदेशक, प्रधान कार्यालय।
12- संयुक्त निदेशक, कुक्कुट प्रशिक्षण केन्द्र, निबलेट-बाराबंकी (चकगंजरिया)।
13- संयुक्त निदेशक, भदावरी प्रक्षेत्र, इटावा।
14- संयुक्त निदेशक, भेड़ विकास/ऊन विकास, मीरजापुर/भैसौड़ा, चन्दौली।
15- संयुक्त निदेशक, सूकर नियंत्रण, अलीगढ़।
16- संयुक्त निदेशक, न्यूट्रीशियन/कुक्कुट आहार प्रयोगशाला, बादशाहबाग, लखनऊ।
17- संयुक्त निदेशक, फौरेन्सिक लैब, मथुरा।
18- संयुक्त निदेशक, माइको, खीरी।
19- समस्त संयुक्त निदेशक, पशु जैविक औषधि संस्थान, बादशाहबाग, लखनऊ।
20- समस्त मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
21- उप निदेशक (प्रक्षेत्र), पशुपालन विभाग, महानगर, लखनऊ।
22- प्रधानाचार्य, आदर्श प्रशिक्षण उत्पादन केन्द्र, बी0के0टी0, लखनऊ।
23- समस्त उप निदेशक, प्रधान कार्यालय।
24- अध्यक्ष, गो सेवा आयोग, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
25- समस्त क्षेत्र प्रबंधक,/अधीक्षक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0।
26- लेखाधिकारी (आडिट/बजट), प्रधान कार्यालय।
27- सहायक निदेशक (प्रचार), प्रधान कार्यालय।
28- पशुधन विपणन अधिकारी, प्रधान कार्यालय।
29- चारा विकास अधिकारी, प्रधान कार्यालय।
30- नोडल अधिकारी (विधि सेल), प्रधान कार्यालय।
31- आहरण वितरण अधिकारी, प्रधान कार्यालय।
32- प्रभारी अधिकारी (स्टोर/पुस्तकालय), प्रधान कार्यालय।
33- परिवहन अधिकारी, प्रधान कार्यालय।
34- समस्त प्रशासनिक अधिकारी/प्रभारी, प्रधान कार्यालय।
35- श्री नवीन कुमार गुप्ता, कम्प्यूटर सुपरवाइजर, प्रधान कार्यालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त पत्र विभागीय बेवसाइट में डालना सुनिश्चित करें।

(डा0यू0पी0सिंह)
निदेशक
प्रशासन एवं विकास

संख्या-2/2020/36/1/1976/कार्मिक-2/2020

प्रेषक,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
उत्तर प्रदेश शासन।

2- **समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष**
उत्तर प्रदेश।

3- **समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक: 21 मई, 2020

विषयः- कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय-सारिणी के निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 36/1/1976-कार्मिक-2/2005, दिनांक 21.02.2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों के अंकन हेतु समय-सारिणी निर्धारित की गयी है। समय-सारिणी के अनुसार अधिकारी द्वारा स्वमूल्यांकन उपलब्ध कराने की तिथि 15 मई नियत है। प्रविष्टि अंकित करने के लिए निर्धारित दो स्तरों के प्रकरणों में प्रतिवेदक प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य 31 अगस्त तक तथा समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मन्तव्य 30 सितम्बर तक अंकित करने की व्यवस्था है। प्रविष्टि अंकन के लिए निर्धारित तीन स्तर के मामलों में प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी द्वारा अपना मन्तव्य अंकित करने हेतु क्रमशः 31 जुलाई, 31 अगस्त तथा 30 सितम्बर तक की तिथि नियत है।

2- कोविड-19 महामारी के फैलाव एवं देश में लॉकडाउन होने के कारण प्रदेश में आवश्यक सेवायें जारी रखने तथा कानून-व्यवस्था को बनाये रखने के लिए अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा युद्धस्तर पर अनवरत कार्य किया जा रहा है। उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा उक्त संदर्भित शासनादेश पर विचार करते हुए राज्याधीन सेवाओं में तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टियों हेतु निर्धारित समय-सारिणी को वर्ष 2019-20 के लिए वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के अंकन हेतु निम्नलिखित व्यवस्था निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है:-

(1) स्वमूल्यांकन 15 जून तक उपलब्ध करायें जायें।

(2) जहाँ प्रविष्टि अंकित करने के लिए दो स्तर निर्धारित हैं, वहाँ प्रतिवेदक प्राधिकारी अपना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

मन्तव्य 15 अक्टूबर, 2020 तक तथा समीक्षक/स्वीकर्ता प्राधिकारी अपना मन्तव्य 31 दिसम्बर, 2020 तक अंकित कर दें।

(3) जिन मामलों में प्रविष्टि अंकित करने के तीन स्तर निर्धारित हैं, उनमें प्रतिवेदक, समीक्षक तथा स्वीकर्ता प्राधिकारी अपना मन्तव्य क्रमश: 31 अगस्त, 2020, 15 अक्टूबर, 2020 तथा 31 दिसम्बर, 2020 तक अंकित कर दें।

(4) मण्डलीय/जिला स्तरीय अधिकारियों की प्रविष्टि अंकित करने के विशेष अधिकार के तहत मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी अपनी प्रविष्टियां 15 अक्टूबर, 2020 तक उपलब्ध करा दें।

(5) यदि संबंधित प्राधिकारी निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार अपना मन्तव्य अंकित नहीं करते तो उनके मन्तव्य की प्रतीक्षा किये बगैर अगले स्तर के प्राधिकारी संबंधित प्रपत्र तलब करके प्रविष्टि अंकित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

3- संदर्भित शासनादेश संख्या- 36/1/1976-कार्मिक-2/2005, दिनांक 21.02.2005 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,
मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-2/2020(1)36/1/1976/कार्मिक-2/2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि- सचिवालय के समस्त अनुभागों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से
अरविन्द मोहन चित्रांशी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।